महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या-557 / नौ-9-2017-170ज / 06टी0सी0

प्रेषक

कुमार कमलेश,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त नगर आयुक्त
नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 15 जून, 2017

विषय: भारत सरकार के पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम-2014 एवं उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली-2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-478/नौ-9-2017-170ज/06 टी0सी0, दिनांक 26.05.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 10.05.2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली-2017 के उपबन्धों के अनुसार नगर पथ विक्रय समिति का गठन, पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण, पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना, विक्रय परिक्षेत्रों का सीमांकन, नये पथ विक्रय बाजार बनाने, पथ विक्रेताओं को पुनर्स्थापित किये जाने, पथ विक्रेताओं का परिचय पत्र जारी करने इत्यादि कार्यवाही की योजना/समय-सारिणी का आदेश अनुपालनार्थ जारी किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम-2014 की धारा-3(3) में निम्न प्राविधान है:-

" No street vendor shall be evicted or , as the case may be, relocated till the survey specified under sub-section (*1*) has beeen completed and the certificate of vending is issued to all street vendor."

भारत सरकार के उक्त अधिनियम की धारा-38 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता योजना-2016 अधिसूचना संख्या-818/9-9-2016-170ज/06, दिनांक 08.09.2016 द्वारा लागू की गयी है तथा अधिनियम की धारा-36 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली-2017 अधिसूचना संख्या-111/9-9-2017-170ज/06, दिनांक 10.05.2017 द्वारा लागू की गयी है। उक्त नियमावली में विहित उपबन्धों के अन्तर्गत नगर पथ विक्रय समिति का गठन,पथ विक्रय परिक्षेत्रों का चिन्हांकन, पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण, पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना, पथ विक्रेताओं का परिचय पत्र जारी करने की

कार्यवाही किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–478 / नौ–9–2017–170ज / 06 टी0सी0, दिनांक 26.05.2017 द्वारा समय–सारिणी जारी की गयी है।

कृपया पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम–2014 की धारा–3(3), उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता योजना–2016, उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन)नियमावली–2017 एवं शासनादेश संख्या–478 / नौ–9–2017–170ज / 06 टी0सी0, दिनांक 26.05.2017 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुमार कमलेश)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिनि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश ।
(2) जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
(3) निदेशक,राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ0प्र0(सूडा)
(4) सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत,उ0प्र0 (द्वारा–निदेशक,स्थानीय निकाय,उ0प्र0)
(5) वेब मास्टर,वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु / गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।